

FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• उमराव जाट पुत्र राधाभोहन जाति जाट उम्र करीबन 30 साल निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील अराई जिला अजमेर राज. व अन्य।
-प्रार्थी

बनाम

• राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अराई जिला अजमेर राज.।
- अप्रार्थी



किस्म मुकदमा- धारा 131,136 भूराज.अधि. 1956

नंबर 73 /2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 82

वकील प्रार्थी :- रामदेव गुर्जर

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
13/11/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राज. अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अराई	
06/11/24	पत्रावली पेश हुई आज दिनांक 06/11/24 को प्रार्थी की ओर से कार्य रथगन रखा गया। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार दिनांक 05/10/24 को पेश हो।	
05/10/24	पत्रावली पेश हुई आज दिनांक 05/10/24 को प्रार्थी की ओर से कार्य रथगन रखा गया। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार दिनांक 08/11/24 को पेश हो।	
08/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. पत्रावली को समझ चाहा। पत्रावली पर प्रार्थी की ओर से कार्य रथगन रखा गया। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार दिनांक 08/11/24 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अराई	
13/11/24	पत्रावली पेश हुई आज दिनांक 13/11/24 को प्रार्थी की ओर से कार्य रथगन रखा गया। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार दिनांक 10/11/25 को पेश हो।	

नंबर व तारीख
काम जो इन
तारीख

6/4/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. ३

~~वापस लेना~~
पत्रावली दिनांक .. 18/4/26 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अराई

18/4/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. ३

~~अपना नाम रिपोर्ट हेतु तथा 1210 प्राप्त है~~
पत्रावली दिनांक .. 25/4/26 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अराई

25/4/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपरिगत।

P.O. साक्ष्य चुनाव कार्य/वकील पक्षकारण
का पत्रों। पत्रावली पूर्ण करी जा चुका
दिनांक 11/3/26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

11/3/26

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपरिगत।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। गड में वांछित
कदमी रास्ते को राजव नम्बरो में अंडन किया जाना
आनलाईन नम्बरो में संभव नहीं है क्योंकि सेगीगेरा
के परचार जमाबंदी न नम्बरो की वन-इ-वन मैपिंग
की गयी है। तथा वन-इ-वन मैपिंग बनार रखना
आवश्यक है। पूर्व नम्बरो के उबर कदमी रास्ते का
जमाबंदी में कोई भलग अंतरा नैबद अंडन नहीं
लेने से बाद खारिज होग्य है। अतः वादी का वन
खारिज किया जाकर पत्रावली फैंडल शुमार होर
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)